

12.9.25

पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता सत्र उपस्थित ।
 अधिवक्ता ने पत्रावली पर जाहिर किया कि प्राची
 आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते अतः प्राची
 के की प्रार्थना के आधार पर प्रार्थना पत्र इसी
 स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गम्बर
 से कम की जाकर दायिल दफ्तर हो कावे .

सहायक कलेक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 कुमानगढ़

अधी काने
 नही कारना
 वास्तव

[Handwritten signature]

889 n

[Handwritten mark]

(मसुदा)
 (2)